राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 218/2008

श्रीमती सेडूराम **–अपीलार्थी**

बनाम

1. सचिव, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.02.2008
आदेश की दिनांक : 17.08.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक जोशी, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को नर्स के वेतनमान 1200–2050 दिनांक 01.09.1988 से निर्धारित करते हुए शेष राशि का भुगतान किया जावे और नर्स के पद पर मानते हुए उसे प्रथम चयनित वेतनमान 1400–2600 का लाभ दिया जावे तथा पांचवे वेतनमान का लाभ प्रदान किया जावे तथा वर्ष 2004 से तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ देते हुए शेष राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भुगतान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति नर्स आयुर्वेद के पद पर दिनांक 04.03.1977 को हुई थी और आदेश दिनांक 04.12.1985 के द्वारा अपीलार्थी को स्थायी किया गया। अपीलार्थी को राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.01.1992 के अनुसरण में प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ एएनएम मानते हुए दिनांक 17.05.1993 के द्वारा दिया गया। जबकि अपीलार्थी नर्स के पद पर नियुक्त हुई थी और उक्त पद का वेतनमान 895–1720 से संशोधित कर 1200–2050 कर दिया गया। आदेश दिनांक 18.09.1996 के द्वारा अपीलार्थी को प्रथम व द्वितीय चयनित वेतनमान देने के

आदेश दिए गए और नर्स के पद पर मानते हुए अपीलार्थी को दिनांक 08.03.1977 से मानकर चयनित वेतनमान के आदेश प्रदान किए गए। अपीलार्थी की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर उसे दिनांक 31.05.2007 को सेवानिवृत्त कर दिया गया। उनका कथन है कि श्रीमती ट्रिजा डेविड जो अपीलार्थी से कनिष्ठ है, उसको चयनित वेतनमान का लाभ प्रथम नियुक्ति दिनांक से दिया गया है, जबकि अपीलार्थी को नहीं और विभाग द्वारा अपीलार्थी का गलत वेतन निर्धारण कर दिया गया, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को नर्स के वेतनमान 1200–2050 दिनांक 01.09.1988 से निर्धारित करते हुए शेष राशि का भुगतान किया जावे और नर्स के पद पर मानते हुए उसे प्रथम चयनित वेतनमान 1400–2600 का लाभ दिया जावे तथा पांचवे वेतनमान का लाभ प्रदान किया जावे तथा वर्ष 2004 से तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ देते हुए शेष राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भुगतान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 01.09.1988 का संशोधित वेतन स्थिरीकरण हेतु विकल्प दिनांक 15.03.1991 से दिया गया, जिसके आधार पर उसका वेतन 1200–2050 में वेतन स्थिरीकरण दिनांक 15.03.1991 को किया जाकर अगले वेतन वृद्धि की दिनांक 15.03.1992 रखी गई। उसी के अनुसार दिनांक 15.03.1991 को दिया गया क्योंकि अपीलार्थी ने वेतनमान 880–1680 में 1225/– के बाद 1400/– रूपये पर जम्प का लाभ लेकर दिनांक 15.03.1991 को अपना वेतन स्थिरीकरण करवाना चाहा और उसी के अनुरूप उसका वेतन स्थिरीकरण किया गया और उसी अनुक्रम में आगे का चयनित वेतनमान 9 वर्ष पर 1400–2600 का लाभ दिनांक 25.01.1992 से एवं 18 वर्ष का चयनित वेतनमान नियुक्ति दिनांक 08.03.1977 से 18 वर्ष पूर्ण करने की दिनांक 08.03.1995 से स्थिर किया गया और 27 वर्ष पूर्ण होने की दिनांक 08.03.2004 को तृतीय चयनित वेतनमान रूपये 7,750/– पर वेतन स्थिरीकरण का लाभ दिया गया। जबकि श्रीमती ट्रिजा डेविड की 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर दिनांक 19.02.2007 को प्रदान करते हुए रूपये 8,500/– मूल वेतन पर वेतन स्थिरीकरण किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति नर्स आयुर्वेद के पद पर दिनांक 04.03.1977 को हुई थी और आदेश दिनांक 04.12.1985 के द्वारा अपीलार्थी को स्थायी किया गया। अपीलार्थी को सरकार के परिपत्र दिनांक 25.01.1992 के अनुसरण में प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ एएनएम मानते हुए दिनांक 17.05.1993 के द्वारा दिया गया। जबकि अपीलार्थी नर्स के पद पर नियुक्त हुई थी। अपीलार्थी को नर्स के पद का दिनांक 01.09.1988 से चयनित वेतनमान का लाभ एवं उससे कनिष्ठ श्रीमती ट्रिजा डेविड जो अपीलार्थी से कनिष्ठ है, उसको चयनित वेतनमान का लाभ प्रथम नियुक्ति दिनांक से दिए जाने का प्रश्न है, हमारे मत में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 01.09.1988 का संशोधित वेतन स्थिरीकरण के सम्बन्ध में विकल्प दिनांक 15.03.1991 से दिया गया, जिसके आधार पर उसका वेतन 1200–2050 में वेतन स्थिरीकरण दिनांक 15.03.1991 को किया गया। अपीलार्थी ने स्वयं अपना वेतन स्थिरीकरण करवाना चाहा और उसी के अनुरूप उसका वेतन स्थिरीकरण किया गया और उसी अनुक्रम में आगे का चयनित वेतनमानों का लाभ 9 वर्ष पर 1400–2600 का लाभ एवं 18 वर्ष का चयनित वेतनमान नियुक्ति दिनांक 08.03.1977 से 18 वर्ष पूर्ण करने की दिनांक 08.03.1995 से स्थिर किया गया और 27 वर्ष पूर्ण होने की दिनांक 08.03.2004 को तृतीय चयनित वेतनमान रूपये 7,750/– पर वेतन स्थिरीकरण का लाभ दिया गया। जबकि श्रीमती ट्रिजा डेविड की 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर दिनांक 19.02.2007 को प्रदान करते हुए रूपये 8,500/– मूल वेतन पर वेतन स्थिरीकरण किया गया। अतः अपीलार्थी के उक्त तर्कों में हमें कोई बल प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य